उत्तर प्रदेश शासन

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनुभाग

संख्या-23/2020/1105/अट्ठासी-20-01औ0/20टी.सी.

लखनऊ : दिनांक 30 जून, 2020

कार्यालय-आदेश

कोरोना (कोविड-19) वैश्विक महामारी की आपात/विशिष्ट परिस्थिति के दृष्टिगत कार्यालय आदेश संख्या-14/2020/706/अट्ठासी-2020, दिनांक 27.04.2020 द्वारा प्रदेश में हैण्ड सेनेटाइजर के खुदरा विक्रय हेतु औषधि विक्रय लाइसेन्स की अनिवार्यता से दिनांक 30.06.2020 तक प्रदान की गयी शिथिलता अवधि को सम्यक् विचारोपरान्त अग्रेतर दिनांक 30.09.2020 तक बढ़ाते हुए, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के शिड्यूल-के(12) एवं सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत हैण्ड सेनेटाइजर के खुदरा विक्रय हेतु औषधि विक्रय लाइसेन्स की अनिवार्यता को शिथिल करते हुए, मेडिकल स्टोर/जनरल स्टोर/ग्रोसरीज आदि के माध्यम से हैण्ड सेनेटाइजर के खुदरा विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) विक्रय लाइसेन्स की अनिवार्यता को छोड़ते हुए स्थानीय औषधि निरीक्षक द्वारा पूर्ववत् औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली,1945 के प्राविधानों के अन्तर्गत हैण्ड सेनेटाइजर के क्रय-विक्रय एवं नमूना संकलन प्रवर्तन आदि की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, जिसमें हैण्ड सेनेटाइजर का खुदरा विक्रय करने वाले प्रतिष्ठान/ फर्म द्वारा अनिवार्यत: अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(2) उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 21.03.2020 द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा-2 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित किये गये मूल्य पर ही हैण्ड सेनेटाइजर की विक्री सुनिश्चित की जायेगी।

2- उक्त आदेश दिनांक 30.09.2020 तक के लिए प्रभावी रहेंगे।

अनीता सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या-23/2020/1105(1)/अट्ठासी-20, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- अपर मुख्य सचिव, सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने के अनुरोध सहित प्रेषित।

4- आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ।

5- निदेशक, सूचना, उ0प्र0 लखनऊ को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।

6- चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।

7- आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 प्रयागराज।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

10- उप आयुक्त (औषधि)/औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।

11- सहायक आयुक्त (खाद्य) (मुख्यालय), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ।

12- समस्त सहायक आयुक्त (औषधि)/समस्त औषधि निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
प्रभात कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।